उपखण्ड अधिकारी
शिव

[illegible]ओआ0 सं0 290/2018 अन्तर्गत धारा 136 RLR Act. आम जनता ग्राम पंचायत उण्डू बनाम किशोरसिंह

	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
5/5/19	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिकवक्ता उप0। प्रार्थीगण के प्रर्थना पत्र का संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम उण्डू तह0 शिव के खेत खसरा नम्बर 540 रकबा 4.05 बीघा भूमि तथा खसरा नम्बर 1035/548 से विभक्त होकर बने खसरा नम्बर 1189/1035 रकबा 0.02.00 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1190/1035 रकबा 0.09.10 बीघा किस्म बारानी दोयम विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में, खेत खसरा नम्बर 1035/848 रकबा 00.15.00 रकबा 00.15.00 बीघा किस्म बारानी दोयम विप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी मे तथा खेत खसरा नम्बर 1188/1035 रकबा 00.02.10 व खसरा नम्बर 11191/1035 रकबा 00.13.00 बीघा किस्म बारानी दोयम विप्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी मे आई है तथा खसरा नम्बर 549 रकबा 04.05 विस्वा भूमि गै0मु0 बेरा आमजन ग्राम पंचायत उण्डू की जनहितार्थ है जिसमें समस्त ग्राम वासियो का हित निहित है। उक्त भूमि ग्राम उण्डू की आबादी भूमि के मध्य में आई हुई होने से बेशकिमती भूमि है। जिस पर गांव के कुछ भू– माफियाओ की बूरी नजर है जिस पर अतिकमण करना चाहते है इसलिए गै0मु0 बेरा की भूमि की तरमीम दुरस्त की जावे। इसके जबाब में विप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री बालाराम गोदारा ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण का आवेदन मनगढत व गलत तथ्यो के आधार पर होने से तथा प्रार्थीगण का आशय एक मात्र विप्रार्थीगण को नाहक व तंग करने के उद्धेश्य से प्रस्तुत होने से काबले खारिज है साथ ही विप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बताया की खसर नम्बर 549 एवं पडौसी के मूल खसरा नम्बर 548 जो दोनो वक्त सेटमेंन्ट से पृथक पृथक राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है तथा उक्त खसरान की	

उपखण्ड अधिकारी
शिव

तरमीम वक्त सेटलमेन्ट से की हुई होने से उक्त प्रकरण धारा 131/136 रा0भू0रा0अधि0 के तहत नही आता है जब भू प्रबन्ध हुआ उसी समय से दोनो खसरो की तरमीमे क्षेत्रफल अनुसार पृथक पृथक की जा चुकी थी ओर विप्रार्थी उसी तरमीम अनुसार मौके पर काबिज है सेटलमेंन्ट के समय से की गई तरमीम को किसी प्रकार से रदोबदल नही होने से प्रकरण 136 रा0भूरा0अधि0 के तहत नही आने से खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थीगण आम जनता की हेसियत से अगर प्रकरण पेश करना चाहते है तो उसका क्षेत्राधिकार आदेश 1 नियम 8 सीपीसी के तहत सीविल न्यायालय को प्राप्त है राजस्व न्यायालय को नही। तथा आम जनता की और से प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा जानबूझ कर ग्राम पंचायत को भी पक्षकार नही बनाये जाने से प्रार्थीगण का आवेदन खारिज योग्य है।

उक्त प्रकरण राजस्व सरकार जरिये तहसीलदार शिव अथवा ग्राम पंचायत उण्डू ही सक्षम न्यायालय में वाद/आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा आवेदन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है कि विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1035/548 रकबा 02.06 बीघा भूमि का रकबा उक्त रकबे से अधिक हो। इस प्रकार विप्रार्थीगण के स्वयं के वक्त सेटलमेन्ट से राजस्व रेकर्ड मे अंकित रकबा 02.06 बीघा में भी मौके पर भूमि कम पडने से प्रार्थीगण आवदेन खारिज योग्य है।

न्यायालय द्वारा इस संबंध में तहसीलदार शिव से वास्तविक एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट अपने पत्रांक 2860 दिनांक 24.06.2019 के जरिए तलब की। जिस पर तहसीलदार शिव अपने हल्का पटवारी उण्डू एवं भू0अभिलेख निरक्षक के साथ मौका पर जाकर वास्तविक एवं मौके की स्थिति अनुसार फर्द मौका मय नक्शा तैयार कर तहसीलदार शिव के पत्रांक 162 दिनांक 04.07.2019 को इस न्यायालय में भिजवाई जो संलग्न पत्रावली की गई।

हमने उभय अधिवक्ताओ की बहस सुनी तथा पत्रावली में

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

उपलब्ध दस्तावेजो एवं तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार शिव ने अपनी मौका रिपोर्ट मे यह स्पष्ट बाताया है कि " मौके पर ग्राम उण्डू के मूल खसरा नम्बर 1035/48 रकबा 2.06 बीघा एवं खसरा नम्बर 549 रकबा 4.05 बीघा भूमि की नक्शे में विद्यमान तरमीन का रेकर्ड एवं मौके की स्थिति की पैमाइश जरीब चलाकर की गई। पुख्ता बिन्दुओ से पैमाईश करने पर खसरा नम्बर 1035/548 के खातेदार अपनी सीमाओ के अन्दर ही काबिज है। उक्त खसरे की पूर्व में भी पैमाईश की जा चुकी है। लठ्ठा ट्रेस से खसरा नम्बर 549 का रकबा निकालने पर 3.05 बीघा आता है। जबकि रेकर्ड मे इसका रकबा 4.05 बीघा दर्ज है तथा मूल खसरा नम्बर 1035/548 का लट्ठा ट्रेस से रकबा निकालने पर 2.01 बीघा भूमि आती है जंबकि रेकर्ड मे इस खसरा नम्बर का रकबा 2.06 बीघा दर्ज है "

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन गलत तथ्यो के आधार पर होने व खसर नम्बर 549 एवं पडौसी के मूल खसरा नम्बर 548 जो दोनो वक्त सेटमेंन्ट से पृथक पृथक राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने से तथा उक्त खसरान की तरमीम वक्त सेटलमेन्ट से ही पृथक पृथक होने से प्रार्थीगण का आवेदन 136 रा0 भू रा0 अधि0 के तहत नही बनता है व भू प्रबन्ध के समय से की गई तरमीम में किसी प्रकार से रदोबदल नही होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है साथ ही पूर्व दिनांक 24.10.2018 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को अपास्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 04.07.2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दाख्लि दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 15:11:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: